

प्रेषक,

चन्द्र मोहन श्रीवास्तव,
अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

विषय: Regarding successful organization of special mediation Drive-
Mediation "for the Nation".

महोदय,

सराममान निवेदन है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्राप्त पत्रांक 2389/एसएलएसए-83/2025 (संदीप/आर०आई) दिनांकित 30.07.2025 द्वारा राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने हेतु तहसील व मुख्यालय स्तर पर जनपद की श्रेणी के अनुसार और अधिक मध्यस्थ नामित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं।

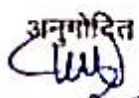
उपर्युक्त के संबंध में उल्लिखित है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत वर्तमान में 14 प्रशिक्षित मध्यस्थ कार्यरत हैं। जिसमें से 04 मध्यस्थ जेवर न्यायालय स्थित मध्यस्थता केन्द्र में नामित है। जिसमें से 02 मध्यस्थगण को मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता कार्यवाही हेतु मुख्यालय स्थित मध्यस्थता केन्द्र पर सम्बद्ध किया गया है।

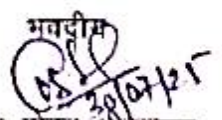
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार 'A' श्रेणी में आने वाले जनपदों में अनुमानित 40 मध्यस्थों की संख्या निर्धारित की गई है। जनपद गौतमबुद्धनगर को 'A' श्रेणी में रखा गया है। उक्त के संदर्भ में यह भी निर्देश प्राप्त हुये हैं कि मध्यस्थों की चयन प्रक्रिया को 07 दिवस के अन्दर पूर्ण कर सालसा को सूचित किया जाये।

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अनुमानित 26 मध्यस्थों को चयन किये जाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तहसील जेवर व मुख्यालय स्तर पर अनुमानित 26 मध्यस्थों की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने तथा उक्त के संबंध में दैनिक समाचार पत्र, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर के पोर्टल पर तथा जनपद बार एसोसिएशन व जेवर बार एसोसिएशन में प्रकाशन व प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु अनुमोदन करने की कृपा करें

दिनांक: 30-07-2025

अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर

भारतीय

चन्द्र मोहन श्रीवास्तव,
अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विज्ञप्ति

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के के निर्देशन में तहसील व मुख्यालय स्तर पर मध्यस्थ के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 में दिये गये प्राविधानों के अधीन पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की आर्हताये निम्नवत है:-

(क) ऐसे अधिवक्ता जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का विधिज्ञ अनुभव हो,

(ख) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

(ग) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधिज्ञ क्षेत्र में सुपरिचित हो, से आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं।

यह व्यक्ति, मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के पात्र नहीं होंगे:-

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित को घोषित किया गया हो,

(दो) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो,

(तीन) ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधनता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो,

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो,

मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र में मध्यस्थ पद के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पद का नाम	पदों की अनुमानित संख्या
मध्यस्थ/मीडिएटर	26

उपरोक्त पद पर चयनित संधिकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति की दिनांक से सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा।

मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अधिवक्तागण के आवेदन पत्र (संलग्न) उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 में दिये गये अनुसूचि-एक पर दिनांक 04.08.2025 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर में सायं 5 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।

भवदीय

दिनांक: -07-2025

चन्द्र मोहन श्रीवास्तव,
अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर/पदेस सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 31.07.2025 को दैनिक समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि माध्यम से जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

चन्द्र मोहन श्रीवास्तव,
अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

अनुसूची-एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विरोध अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के

रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।